अनुदान संख्या 95 - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 95–ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,00*	*80*	*–20*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1512,60,00	1512,66,00	1453,48,90	–59,17,10
पूरक	Supplementary	6,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				30,60,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		240,33,00	218,61,71	–21,71,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				19,44,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (5917.10 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 6.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुई/हुआः-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5917.10 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.6.00 lakhs obtained in March, 2006 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क-गृह मंत्रालय	**A - Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	4598.00	4345.77	4245.50	–100.27
पु.	R.	–252.23			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities				
मू.	O.	57648.00			
पू.	S.	1.00	53905.90	52456.85	–1449.05
पु.	R.	–3743.10			
ख-कृषि मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन	**B-Ministry of Agriculture** Major Head "2405" Fisheries				
मू.	O.	526.00	331.59	315.50	–16.09
पु.	R.	–194.41			
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	**C-Ministry of Rural Development** Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	2003.00	1383.50	1383.50	. .
पु.	R.	–619.50			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	150.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–150.00			
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य शहरी विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	3071.00			
पू.	S.	1.00	3309.48	3293.33	–16.15
पु.	R.	237.48			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
घ-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**					
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"					
विद्युत	Power					
मू.	O.	13626.00		13715.50	13539.41	–176.09
पु.	R.	89.50				
छ-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**G - Ministry of Food Processing Industries**					
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"					
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing					
मू.	O.	1880.00		2402.02	2387.66	–14.36
पु.	R.	522.02				
झ-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**I - Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"					
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	4417.00		5006.00	4852.65	–153.35
पु.	R.	589.00				
ञ-प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	**J - Department of Elementary Education and Literacy**					
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.	5691.00		5409.12	5416.09	+6.97
पु.	R.	–281.88				
ट-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**K - Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.	5259.00		5077.67	4844.33	–233.34
पु.	R.	–181.33				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ढ-लघु उद्योग मंत्रालय	**N - Ministry of Small Scale Industries**				
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	135.00			
पू.	S.	1.00	9.00	8.01	–0.99
पु.	R.	–127.00			
ण-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	**O - Ministry of Information and Broadcasting**				
मुख्य शीर्ष "2220" सूचना एवं प्रचार	Major Head "2220" Information and Publicity				
मू.	O.	145.00	389.00	384.45	–4.55
पु.	R.	244.00			
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**R - Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges				
मू.	O.	3740.00			
पू.	S.	1.00	4465.00	4464.58	–0.42
पु.	R.	724.00			
ध-जहाजरानी मंत्रालय	**S - Ministry of Shipping**				
मुख्य शीर्ष "3052" जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping				
मू.	O.	13172.00	13089.67	13075.97	–13.70
पु.	R.	-82.33			
फ-पर्यटन मंत्रालय	**V - Ministry of Tourism**				
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	568.00	740.00	725.00	–15.00
पु.	R.	172.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
म-जल संसाधन मंत्रालय	**Y - Ministry of Water Resources**				
मुख्य शीर्ष ''2702'' लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation				
मू.	O.	304.00	149.00	86.26	–62.74
पु.	R.	–155.00			

(I) पच्चीस शीर्षों के अंतर्गत 1547.70 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1332.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''बाढ, चक्रवात आदि''-

(क) ''शोक संतप्त परिवारों को आनुग्रहिक अदायगियां - प्राकृतिक आपदाएं''- 200.00 लाख रु.; और

(ख) ''जनसंख्या का निष्क्रमण - प्राकृतिक आपदाएं''- 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सुनामी के बाद जनसंख्या के निष्क्रमण के लिए दावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल पूर्ति - जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायत - प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना'' - 250.00 लाख रु. उपयोग प्रमाण-पत्रा प्रस्तुत न किए जाने और साथ ही स्कीम को बंद किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास स्कीम)'' - 150.00 लाख रु. स्कीम को बंद किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''माध्यमिक शिक्षा - जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत - जिला परिषद''- 232.00

(I) Provision of Rs.1547.70 lakhs remained wholly unutilised under twenty five heads; of these Rs.1332.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2245" – "Flood, Cyclones etc." –

(a) "Ex-gratia Payments to Bereaved Families– Natural Calamities"- Rs.200.00 lakhs; and

(b) "Evacuation of population – Natural Calamities" – Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of claims for evacuation of population after Tsunami.

(B) Major Head "2215" – "Water Supply - Zilla Parishad/District Level Panchayat – Prime Minister's Gramodaya Yojana"- Rs.250. 00 lakhs- due to non-furnishing of utilisation certificates and also on account of closure of the scheme.

(C) Major Head "2216" – "Rural Housing – Other Expenditure – Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (Gramin Awaas Scheme)" – Rs.150.00 lakhs – due to closure of the scheme.

(D) Major Head "2202" – "Secondary Education - Zilla Parishad/District Level Panchayat- Zilla Parishad" – Rs.232.00 lakhs–

लाख रु. उपयोग प्रमाण-पत्रा प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''विशेष पुलिस - भारतीय रिजर्व बटालियन'' के अंतर्गत 210.00 लाख रु. की बचत (1003.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण प्रभारों के लिए दावे प्राप्त न होने, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से बस, मिनी बस के लिए दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, भंडारों की अधिप्राप्ति में विलंब होने और कर्मचारियों के छुट्टी यात्राा रियायत का लाभ प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2245'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखत शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''बाढ., चक्रवात आदि''-

(क) 'पेय जल पूर्ति - प्राकृतिक आपदाएं''- 1500.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) ''भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता'' - 636.99 लाख रु. की बचत (668.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता - प्राकृतिक आपदाएं'' - 1175.39 लाख रु. की बचत (1183.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;और

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय - प्राकृतिक आपदाएं''- 14733.07 लाख रु. की बचत (40486.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कृषि एवं मछली पालन पैकेज के अंतर्गत राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के अधीन निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2405'' - ''समुद्री मछली पालन - तटवर्ती मछली पालन का विकास'' के अंतर्गत 129.92 लाख रु. की बचत (171.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

due to non-furnishing of utilisation certificates.

(II) Under Major Head "2055" – "Special Police – India Reserve Battalion" – saving of Rs.210.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1003.60 lakhs) was due to non-receipt of claims for training charges, non-finalisation of Director General of Supplies and Disposals rate contract for bus, mini bus, delay in procurement of stores and non-availing of leave travel concession by the employees.

(III) Under Major Head "2245" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Flood, Cyclones etc." –

(a) "Drinking Water Supply – Natural Calamities" - saving of Rs. 1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to slow progress of work.

(b) "Assistance to farmers to clear sand/silt/ salinity from land – Natural Calamities" - saving of Rs.636.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 668.00 lakhs);

(c) "Assistance to farmers for purchase of livestock – Natural Calamities" – saving of Rs.1175.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1183.00 lakhs); and

(B) "General - Other Expenditure – Natural Calamities" – saving of Rs.14733.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.40486.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-utilisation of funds under Rajiv Gandhi Rehabilitation package under agriculture and fisheries package.

(IV) Under Major Head "2405" - "Marine Fisheries – Development of Coastal Marine Fisheries" - saving of Rs.129.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.171.10 lakhs) was

तुलना में) मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

due to non-finalisation of tenders for purchase of machinery and equipments.

(V) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) "एकमुश्त पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायत - पंचायत समिति" - 136.00 लाख रु. की बचत (238.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत को सहायता"- 184.46 लाख रु. की बचत (238.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संस्थानों द्वारा उपयोग प्रामण-पत्रा प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुईं।

(V) Under Major Head "2215" - "Water Supply" – savings occurred under the following heads:-

(a) "Block Panchayats/Intermediate Level Panchayat - Panchayat Samiti" - saving of Rs.136.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.238.00 lakhs) ; and

(b) "Gram Panchayat – Aids to Gram Panchayat" - saving of Rs.184.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.238.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-furnishing of utilisation certificates by the institutions.

(VI) मुख्य शीर्ष "2801" - "अन्य विद्युत गृह - विद्युत संयंत्रा और अनुषंगी निर्माण कार्य" के अंतर्गत 244.92 लाख रु. की बचत (3872.79 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भंडारों की अधिप्राप्ति न किए जाने, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने और मशीनरी तथा उपस्करों की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2801" - "Other Power Houses – Power Plant and Ancillary Works" – saving of Rs. 244.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3872.79 lakhs) was due to non-procurement of stores, non-receipt of Director General of Supplies and Disposals claims and non-finalisation of tenders for purchase of machinery and equipments.

(VII) मुख्य शीर्ष "2202" - "प्रारंभिक शिक्षा - सरकारी प्राथमिक विद्यालय - प्राथमिक शिक्षा" के अंतर्गत 203.61 लाख रु. की बचत (4730.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और छुट्टी यात्राा रियायत तथा नि:शुल्क समुद्र मार्ग के कम दावे होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "2202" – "Elementary Education – Government Primary Schools – Primary Education" - saving of Rs.203.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4730.10 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less claims of leave travel concession and free sea passage.

(VIII) मुख्य शीर्ष "2885" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास-आर्थिक सहायता - उद्योगों को परिवहन सहायता" के अंतर्गत 127.99 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 136.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हितलाभार्थियों से आवेदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "2885" - "Development of Backward Areas – Subsidies – Transport Subsidies to Industries" – saving of Rs. 127.99 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.136.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-receipt of applications from beneficiaries.

(IX) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं - एस.सी.आई. को अदायगी" के अंतर्गत 508.36 लाख रु.

(IX) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Payment to SCI" -

की बचत (8192.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा प्रक्षेपणों का गलत आकलन किए जाने के कारण हुई।

(X) मुख्य शीर्ष "2702" - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - कृषि विभाग" के अंतर्गत 111.74 लाख रु. की बचत (145.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक अनुमोदन उपलब्ध न होने की वजह से निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(XI) पांच शीर्षों के अंतर्गत 389.06 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत से 83 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (17161.36 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा 6.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2245" - "बाढ़, चक्रवात आदि"-

(क) "आनुग्रहिक राहत"-

(i) "अन्य मदें"- 511.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 465.65 लाख रु. था।

(ii) "नकदी दान"- 6388.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5804.63 लाख रु. था।

(ख) "क्षतिग्रस्त सड़कें और सेतुओं की मरम्मत और पुन:स्थापना - प्राकृतिक आपदाएं"- 1360.00 लाख रु.।

(ग) "क्षतिग्रस्त सरकारी रिहायशी भवनों की मरम्मत और पुन:स्थापना - प्राकृतिक आपदाएं"- 1725.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1788.92 लाख रु. था।

(घ) "कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता - प्राकृतिक आपदाएं" - 1978.64 लाख रु.। तथापि,

saving of Rs.508.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8192.00 lakhs) was due to wrong assessment of projections by the Shipping Corporation of India.

(X) Under Major Head "2702" - "General – Direction and Administration – Agriculture Department" - saving of Rs. 111.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 145.00 lakhs) was due to non-finalisation of tender owing to non-availability of administrative approval.

(XI) Under five heads savings of Rs.389.06 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 23 percent to 83 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.17161.36 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.6.00 lakhs and vide Annexure – II to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2245"- "Flood, Cyclones etc."-

(a) "Gratuitous Relief"-

(i) "Other Items"- Rs.511.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.465.65 lakhs.

(ii) "Cash Doles"- Rs.6388.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5804.63 lakhs.

(b) "Repairs and Restoration of Damaged roads and bridges-Natural Calamities"- Rs.1360.00 lakhs.

(c) "Repairs and Restoration of Damaged Government Residential Buildings - Natural Calamities"-Rs.1725.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1788.92 lakhs.

(d) "Assistance to farmers for purchase of agricultural inputs - Natural Calamities"-

वास्तविक अधिक व्यय 1875.04 लाख रु. था।

(ड.) ''खराब ट्यूबवेलों, पंपसेटों आदि की मरम्मत के लिए किसानों को सहायता - प्राकृतिक आपदाएं''- 679.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 615.19 लाख रु. था।

(च) ''मछली पकड़ने के लिए खराब किश्तियों और उपस्करों की मरम्मत/प्रतिस्थापना के लिए सहायता - प्राकृतिक आपदाएं''- 328.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 197.95 लाख रु. था।

(छ) ''खराब सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुन:स्थापना - प्राकृतिक आपदाएं''- 410.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 369.68 लाख रु. था।

(ज) ''स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता - प्राकृतिक आपदाएं''- 940.00 लाख रु.।

(झ) ''लोक स्वास्थ्य - प्राकृतिक आपदाएं''- 165.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 155.99 लाख रु. था।

(ञ) ''सामान्य - आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता योजनाओं का प्रबंधन - आपदा प्रबंधन की तैयारी बढ़ाना''- 494.90 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 52.79 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2515'' - ''जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायत - जिला परिषद''- 234.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 233.93 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य - अधिप्राप्ति और पूर्ति''-

(क) ''चावल की खरीद''- 299.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 298.40 लाख रु. था।

(ख) 'गेहूं की खरीद''- 145.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 140.16 लाख रु. था।

Rs.1978.64 lakhs . Actual excess, however, was Rs.1875.04 lakhs.

(e) “Assistance to farmers for repairs of damaged tubewells pumps sets etc. - Natural Calamities”- Rs.679.00 lakhs . Actual excess, however, was Rs.615.19 lakhs.

(f) “Assistance for repairs/replacement of damaged boats and equipments for fishing-Natural Calamities”- Rs. 328.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.197.95 lakhs.

(g) “Repairs and restoration of damaged irrigation and flood control works-Natural calamities”-Rs.410.00 lakhs . Actual excess, however, was Rs. 369.68 lakhs.

(h) “Assistance to Local bodies and other Non-Government bodies Institutions –Natural Calamities”- Rs.940.00 lakhs.

(i) “Public Health - Natural Calamities”- Rs.165.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.155.99 lakhs.

(j) “General-Management of Natural Disaster Contingency Plans in Disaster Prone Areas-Enhancing Preparedness in Managing Disasters”- Rs. 494.90 lakhs. Actual excess, however, was Rs.52.79 lakhs.

(B) Major Head “2515”- “Zilla Parishad/District Level Panchayat - Zilla Parishad”- Rs.234.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.233.93 lakhs.

(C) Major Head “2408”-“Food- Procurement and Supply”-

(a) “Purchase of Rice”- Rs.299.00 lakhs. Actual excess, however was Rs.298.40 lakhs.

(b) “Purchase of Wheat”- Rs.145.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.140.16 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष ''2210''-

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और डिस्पेंसरियां - जी.बी.पंत अस्पताल''- 191.78 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 162.63 लाख रु. था।

(ख) ''ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम''- 183.15 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 160.19 लाख रु. था।

(ड.) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''जिला तथा अन्य सड़कें''-

(क) ''जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायत - जिला परिषद''- 403.54 लाख रु.।

(ख) ''ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायत - पंचायत समिति''- 136.00 लाख रु.।

(ग) ''ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत को सहायता''- 184.46 लाख रु. था।

(चा) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय जहाजरानी - जहाजरानी वेवाएं - अंत:द्वीपीय जलयानों के प्रचालनात्मक प्रभार''- 404.89 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 401.97 लाख रु. हुआ।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और डिस्पेंसरियां - अन्य अस्पताल'' - 117.16 लाख रु. का अधिक व्यय (840.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने, बिजली/पानी/टेलीफोन और अन्य आकस्मिक व्यय पर खर्च किए जाने तथा दवाइयों/चिकित्सा उपस्करों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2220'' - ''फिल्में - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक व्यय''- 243.07 लाख रु. का अधिक व्यय (137.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(D) Major Head "2210"-

(a) "Urban Health Services- Allopathy - Hospital and Dispensaries-G.B.Pant Hospital" – Rs. 191.78 lakhs. Actual excess, however, was Rs. 162.63 lakhs.

(b) "Rural Health Services-Allopathy-Primary Health Centres - Primary Health Scheme"- Rs.183.15 lakhs. Actual excess, however, was Rs.160.19 lakhs.

(E) Major Head "3054"-"District and Other Roads"-

(a) "Zilla Parishad/District Level Panchayats- Zilla Parishad"- Rs. 403.54 lakhs.

(b) "Block Panchayats/Intermediate Level Panchayats - Panchayat Samiti"- Rs.136.00 lakhs.

(c) "Gram Panchayat-Aids to Gram Panchayat"- Rs.184.46 lakhs.

(F) Major Head "3052"-"Costal shipping - Shipping Services - Operational charges of Inter-Islands Vessels"-Rs.404.89 lakhs. Actual excess, however, was Rs.401.97 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210"-"Rural Health Services-Allopathy-Hospitals and Dispensaries - Other Hospitals"- excess of Rs.117.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 840.10 lakhs) was due to grant of additional dearness allowance, expenditure on electric/water/telephone and other contingent expenditure and purchase of medicines/medical equipments.

(B) Major Head "2220"-"Films-Direction and Administration-Administrative Expenditure" - excess of Rs.243.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.137.50 lakhs); and

(गा) मुख्य शीर्ष "3452'' - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - पर्यटन निदेशालय''- 200.71 लाख रु. का अधिक व्यय (442.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(C) Major Head "3452"-"General-Direction and Administration-Tourism Directorate"-excess of Rs. 200.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.442.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय प्रिंट, इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम और इंटरनेट पर विज्ञापन जारी किए जाने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने और भूकंप तथा सुनामी के बाद पर्यटन कार्यकलापों को पुन:जीवित किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to additional requirement of funds for releasing advertisement on print, electronic media and internet for revival of tourism activities after earthquake and Tsunami.

(III) छ: शीर्षों के अंतर्गत 464.52 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 2450 प्रतिशत तक था।

(III) Under six heads excess of Rs.464.52 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 2450 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
घ-विद्युत मंत्रालय	**D - Ministry of Power**					
मुख्य शीर्ष "4801'' विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects					
मू.	O.	1130.00		859.00	756.87	–102.13
पु.	R.	–271.00				
ट-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**K - Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष "4202'' शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Edcuation, Sports, Art and Culture					
मू.	O.	400.00		225.00	223.65	–1.35
पु.	R.	–175.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving– (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
द-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**R - Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	3987.00	3526.00	3527.00	+1.00
पु.	R.	–461.00			
ध-जहाजरानी मंत्रालय	**S - Ministry of Shipping**				
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	5836.00	5162.00	5078.17	–83.83
पु.	R.	–674.00			
प- नागर विमानन मंत्रालय	**U - Ministry of Civil Aviation**				
मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	620.00	232.00	230.93	–1.07
पु.	R.	–388.00			
भ-शहरी विकास मंत्रालय	**X - Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	354.00	1423.00	1423.00	. .
पु.	R.	1069.00			
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	1586.00	1286.55	1271.00	–15.55
पु.	R.	–299.45			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health					
मू.	O.	696.00		658.00	658.00	. .
पु.	R.	–38.00				
मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	708.00		425.00	403.89	–21.11
पु.	R.	–283.00				
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	633.00		642.00	653.79	+11.79
पु.	R.	9.00				
मुख्य शीर्ष "4515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4515" Capital Outlay on Other Rural Development Programmes					
मू.	O.	430.00		210.00	210.00	. .
पु.	R.	–220.00				
मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects					
मू.	O.	360.00		613.00	613.72	+0.72
पु.	R.	253.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	215.00	110.00	109.47	–0.53
पु.	R.	–105.00			
म-जल संसाधन मंत्रालय	**Y - Ministry of Water Resources**				
मुख्य शीर्ष "4711" बाढ़ नियंत्राण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	170.00	60.00	60.00	. .
पु.	R.	–110.00			

(I) 539.50 लाख रु. का प्रावधान सत्राह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 115.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "5055" - "जनजातीय क्षेत्रा उप योजना-भवन" के अंतर्गत निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "4801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "डीजल गैस विद्युत उत्पादन - अन्य विद्युत गृह - विद्युत संयंत्रा और अनुषंगी निर्माण कार्य"- 111.88 लाख रु. की बचत (370.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "ग्रामीण विद्युतीकरण - जनजातीय क्षेत्रा उप योजना-अन्य स्कीमें"- 129.78 लाख रु. की बचत (271.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भंडारों की अधिप्राप्ति में विलंब होने और पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.539.50 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads; of these Rs.115.00 lakhs alone accounted for under Major Head "5055"-"Tribal Area Sub-Plan - Buildings" -due to delay in finalisation of tender.

(II) Under Major Head "4801"-savings occurred under the following heads:-

(A) "Diesel Gas Power Generation - Other Power Houses - Power Plant and Ancillary Works"- saving of Rs.111.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.370.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for purchase of machinery and equipments.

(B) "Rural Electrification -Tribal Area Sub-Plan- Other Schemes"- saving of Rs.129.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.271.00 lakhs) was due to delay in procurement of stores and non-receipt of claims from Director General of Supplies and Disposal .

(III) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''तकनीकी शिक्षा - पालिटेक्नीक - विश्व बैंक की सहायता से तीसरी तकनीशियन शिक्षा का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 176.35 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी, बोलियों पर खराब प्रतिक्रिया की वजह से परामर्शी संविदा को हस्ताक्षर किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''सामान्य - जनजातीय क्षेत्रा उप-योजना - सड़कों का निर्माण'' के अंतर्गत 641.98 लाख रु. की बचत (811.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी की वजह से नए/चालू निर्माण कार्यों को शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''टनभार का अधिग्रहण और विस्तार - जहाजों की खरीद''- 335.43 लाख रु. की बचत (3022.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''जनजातीय क्षेत्रा उप-योजना - जहाजों की खरीद''- 422.40 लाख रु. की बचत (2814.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मुख्यभूमि गोदीबाड़ा के निर्माण के अधीन जलयानों के संबंध में चरण समापन प्रमाण पत्रा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''5053'' - ''विमानपत्तन - हवाई अड्डा - पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन का निर्माण'' के अंतर्गत 389.07 लाख रु. की बचत (620.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अभूतपूर्व वर्षा की वजह से कार्य को प्रारंभ न किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''सामान्य शिक्षा'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - भवन''- 146.12 लाख रु. की बचत (263.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अभूतपूर्व वर्षा की वजह से निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4202" - "Technical Education - Polytechnics - Strengthening of Third Technician Education with World Bank Assistance" - saving of Rs.176.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to delay in signing of consultancy contract owing to Tsunami, poor response of bids .

(IV) Under Major Head "5054" - "General - Tribal Area Sub-Plan - Construction of Roads" - saving of Rs.641.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.811.00 lakhs) was due to non-taking up of new/ongoing works owing to Tsunami.

(V) Under Major Head "5052" - "General"- saving occurred under the following heads:-

(A) "Acquisition and Expansion of Tonnage-Purchase of Ships"- saving of Rs.335.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3022.00 lakhs); and

(B) "Tribal Area sub-plan - Purchase of Ships"- saving of Rs.422.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2814.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of stage completion certificate in respect of vessel under construction at mainland shipyard.

(VI) Under Major Head "5053" - "Air Ports - Aerodromes - Construction of Port Blair Air Port"- saving of Rs.389.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.620.00 lakhs) was due to non-taking up of work owing to unprecedented rains.

(VII) Under Major Head "4202" - "General Education" - savings occurred under the following heads:-

(A) "University and Higher Education - Buildings" - saving of Rs.146.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.263.00 lakhs) was due to delay in finalising the tender owing to unprecedented rain.

(खा) ''जनजातीय क्षेत्रा उप-योजना - भवन''- 270.02 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दक्षिणी समूह के द्वीपों को सुनामी लहरों से जलमग्न करने की वजह से नए/चालू कार्यों को आरंभ न किए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष ''4210'' - ''सामान्य - जनजातीय क्षेत्रा उप-योजना - भवन'' के अंतर्गत 155.00 लाख रु. की बचत (200.00 लख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IX) मुख्य शीर्ष ''4215'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति - शहरी क्षेत्रों में जल पूर्ति''- 201.11 लाख रु. की बचत (590.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''मल-जल तथा सफाई - शहरी सफाई सेवाएं - पोर्ट ब्लेयर के चुने हुए क्षेत्रों को मल-जल प्रणाली उपलब्ध कराना''- 103.00 लाख रु. की बचत (118.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(X) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - जनजातीय क्षेत्रा उप-योजना - भवन'' के अंतर्गत 140.00 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(XI) मुख्य शीर्ष ''4515'' - ''पंचायती राज - भवनों का निर्माण'' के अंतर्गत 220.00 लाख रु. की बचत (430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(XII) मुख्य शीर्ष ''4711'' - ''समुद्र अपरदन रोधी परियोजना - सिविल निर्माण कार्य - समुद्री दीवारों का निर्माण'' के अंतर्गत 110.00 लाख रु. की बचत (170.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छः शीर्षों के अंतर्गत बचतें निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(XIII) आठ शीर्षों के अंतर्गत 511.35 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक थीं।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Buildings" - saving of Rs.270.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-taking up of new/ongoing work owing to Tsunami waves submerging the southern group island.

(VIII) Under Major Head "4210" - "General - Tribal Area Sub-Plan - Buildings" - saving of Rs.155.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs);

(IX) Under Major Head "4215" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Water Supply - Urban Water Supply - Water Supply to Urban Areas" - saving of Rs.201.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.590.00 lakhs);

(B) "Sewage and Sanitation - Urban Sanitary Services - Providing Sewerage System to Selected Areas of Port Blair" - saving of Rs.103.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.118.00 lakhs);

(X) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Tribal Area Sub-Plan - Building" - saving of Rs.140.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs);

(XI) Under Major Head "4515" - "Panchayati Raj - Construction of Buildings" - saving of Rs.220.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs); and

(XII) Under Major Head "4711" - "Anti Sea Erosion Project - Civil Works - Construction of Sea Walls" - saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.170.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to non-finalisation of tenders.

(XIII) Under eight heads savings of Rs.511.35 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent to 79 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1777.21 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "4055" - "पुलिस आवास - भवन"- 1069.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष "4210" - "सामान्य - अन्य व्यय - भवन" - 117.00 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन- सामान्य पूल आवास - भवन" - 149.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 160.79 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष "4801" - "पन बिजली उत्पादन - अन्य व्यय - भवन"- 442.21 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5054" - "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - ग्रामीण सड़कें" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 141.07 लाख रु. का अधिक व्यय (866.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत 320.65 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 से 110 प्रतिशत तक था।

4.(I) The above savings were partly (Rs.1777.21 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure – II to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "4055" - "Police Housing - Building" - Rs.1069.00 lakhs.

(B) Major Head "4210" - "General - Other Expenditure - Buildings" - Rs.117.00 lakhs.

(C) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Buildings" - Rs.149.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.160.79 lakhs.

(D) Major Head "4801" - "Hydel Generation - Other Expenditure - Buildings" - Rs.442.21 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - "District and Other Roads- Road Works - Rural Roads" - excess of Rs.141.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.866.00 lakhs) was due to accelerated progress of work.

(III) Under four heads excess of Rs.320.65 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 16 to 110 percent of the sanctioned provision.